

1/220708/2024

उत्तराखण्ड शासन
ग्रामीण निर्माण अनुभाग
संख्या- ३६० /XII-३/2024/(E 72586)
देहरादून दिनांक २७ जून, 2024

विज्ञप्ति / नियुक्ति

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा 'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण सेवा परीक्षा, 2021' में चयन के आधार पर ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड में नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये निम्नलिखित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, उनके आवेदन पत्र में उल्लिखित प्रवासीय स्थान से चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की आख्या सन्तोषजनक पाये जाने तथा आक्षित श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों के संबंध में जाति का सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक अभियन्ता (सिविल/विद्युत/यात्रिक) के पद पर वेतनमान 56,100—1,77,500 लेवल 10 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से नियुक्त किये जाने तथा उनके नाम के सम्मुख अकित स्थान पर तैनात करते हुये 02 वर्ष की परियोक्षा पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) सहायक अभियन्ता (सिविल अभियन्त्रण)

क्रोसं	आयोग द्वारा चयनित क्रमांक	अभ्यर्थियों का नाम एवं पता	गृहजनपद	तैनाती का स्थान
1	717765	श्री शुभम कुमार सिंह, म०न० 109, ग्राम केवर तल्ला नारायणबगड़, चमोली।	चमोली	प्रखण्ड कोटद्वार
2	726837	श्री गिरिजेश्वर तिवारी, व्यास कुटिर सौनी, ग्राम सौखोला, सौनी, अल्मोड़ा।	अल्मोड़ा	कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) देहरादून
3	725868	श्री सूर्य प्रकाश वर्मा, ग्राम हमीदनगर, महमूदाबाद, बाराबांकी, उत्तरप्रदेश।	बाराबांकी उत्तर प्रदेश	प्रखण्ड टिहरी
4	722493	श्री सौरभ केलखुरा, म०न० 15ए इन्द्रप्रस्थ, लेन 15सी, अपर नथनपुर, देहरादून।	चमोली	प्रखण्ड देहरादून
5	720227	श्री अरुण चौकियाल, कृष्ण विहार, नियर सतपाल नरसरी, मोहकमपुर, देहरादून।	रुद्रप्रयाग	परिमण्डल देहरादून
6	720784	श्री अखिल गुप्ता, म०न०-576, सेक्टर-5 कुरु क्षेत्र, हरियाणा।	करुक्षेत्र हरियाणा	प्रखण्ड कोटद्वार
7	720978	श्री शिवम त्रिपाठी, 378, शक्ति नगर कॉलोनी, शिवपुरी न्यू कॉलोनी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।	गोरखपुर	प्रखण्ड हरिद्वार
8	719947	श्री हेष डामाल, म०न० 87, सद्भाव कुंज लेन-3, पंडितवाड़ी, देहरादून।	देहरादून	प्रखण्ड उत्तरकाशी
9	716815	श्री अक्षित मेवाड़, ग्राम मालगढ़ी (नोगाड़), बड़ियारगढ़, देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल।	टिहरी गढ़वाल	पी०एम०जी०एस०वाई० कर्णप्रयाग
10	721981	श्री नवनीत सिंह रावत, वरदान, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली मार्ग, नियर स्वस्तिक प्लाजा, बजारावाला, देहरादून।	पी०डी०गढ़वाल	पी०एम०जी०एस०वाई० कपकोट (बागेश्वर)
11	716522	श्री सन्दीप नौटियाल, ग्राम जोग्याड़ा, डुण्डा उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	प्रखण्ड उत्तरकाशी
12	716781	श्री अभिषेक जोशी, फेज-2, राजेश्वरी कॉलोनी, नियर दग्गा मंदिर, बंजारावाला, देहरादून।	उत्तरकाशी	पी०एम०जी०एस०वाई० डीडीहाट
13	726296	श्री सचिन सिंह बघरी, ग्राम पुडकुनी, कपकोट, बागेश्वर।	बागेश्वर	पी०एम०जी०एस०वाई० डीडीहाट
14	727939	श्री अक्षय सकटा, नियर गैस गोदाम, टनकपुर रोड, चम्पावत।	चम्पावत	प्रखण्ड डीडीहाट

1/220708/2024

15	713400	सुश्री कात्यायनी नौटियाल, ग्राम मुखेम, प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल।	टिहरी गढ़वाल	प्रखण्ड घनसाली
16	719875	सुश्री अँचल बिष्ट, अनीता निवास, नियर मंजी मसला, देवप्रयाग रोड, वजाली, खाण्डूसैण, पौड़ी गढ़वाल।	पौड़ी गढ़वाल	प्रखण्ड पौड़ी
17	722429	श्री देवेन्द्र सिंह, ग्राम कफलटंडा, नैनीडांडा, धूमाकोट, पौड़ी गढ़वाल।	पौड़ी गढ़वाल	प्रखण्ड डीडीहाट
18	718347	सुश्री यामिनी खनायत, नियर पुलिस लाइन, तल्लीताल, नैनीताल।	नैनीताल	प्रखण्ड बागेश्वर
19	716337	सुश्री निधि रावत, संजय चौबे एन्कलेव, स्मिथ नगर, प्रेमनगर, देहरादून।	पौड़ी गढ़वाल	परिमण्डल पौड़ी
20	715030	श्री राजेन्द्र कुमार, क्षत्रीय भूमि संरक्षण प्रयोगशाला, रविन्द्र नगर, वार्ड नं 10 18 रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।	ऊधमसिंह नगर	प्रखण्ड भिकियासैण
21	713314	सुश्री मनीषा रावत, वार्ड नं 0-1, बड़कोट, उत्तरकाशी।	उत्तरकाशी	प्रखण्ड उत्तरकाशी
22	719487	श्री आशोष कुमार, ग्राम गडोली, म0न0-33, गैरसैण, चमोली।	चमोली	पी0एम0जी0एस0वाई0 कपकोट (बागेश्वर)
23	725940	सुश्री मेघा, C/O जोत राम बरगोली, धौनी सिलिंग, बस्कूनी, चम्पावत।	चम्पावत	पी0एम0जी0एस0वाई0 (डीडीहाट)
24	711351	सुश्री राशि सिंह, 101/8ए रेलवे रोड, न्यू गणेशपुर रुडकी हरिद्वार।	हरिद्वार	प्रखण्ड भिकियासैण

(2) सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक अभियंत्रण)

क्र०सं०	आयोग द्वारा चयनित क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	गृहजनपद	प्रस्तावित तैनाती का स्थान
1	731649	श्री रोहित सिंह मेहरा, 116, ग्राम, खर्काकाँ चंपावत।	चंपावत	परिमण्डल पिथौरागढ़

1. मुख्य अभियन्ता स्तर-1, ग्रा0नि0वि0, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा उपरोक्त सहायक अभियन्ताओं के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के साथ ही जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन की कार्यवाही संबंधित अधिकारी/बोर्ड/संबंधित जिलाधिकारी से नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से प्राथमिकता के आधार पर 06 माह के भीतर सम्पन्न करा ली जायेगी। यदि किसी अभियन्ता का स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त तथा जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं, तो इसकी सूचना शासन को तुक्ताल उपलब्ध करायी जायेगी तथा उसका परिवीक्षा काल समाप्त करते हुये उनकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

2. यद्यपि नियुक्ति के साथ-साथ अभ्यर्थियों को कॉलम-5 के अनुसार तैनाती भी प्रदान की जा रही है, परन्तु उपरोक्त सहायक अभियन्ताओं को यह निर्देश दिये जाते हैं कि नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर सर्वप्रथम कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1, ग्रामीण निर्माण विभाग, तपोवन मार्ग, रायपुर, देहरादून के समक्ष योगदान देना सुनिश्चित करेंगे तथा मुख्य अभियन्ता स्तर-1/विभागाध्यक्ष अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को उनसे वांछित अभिलेख प्राप्त कर इन सूचनाओं को शासन को उपलब्ध करायेंगे।

3. उक्त निर्धारित अवधि के भीतर योगदान नहीं किये जाने की स्थिति में यह समझ लिया जायेगा कि संबंधित अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति का इच्छुक नहीं है तथा तदनुसार उनका अभ्यर्थन शासन द्वारा निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

4. उक्त सहायक अभियन्ताओं को उपरोक्त वर्णित वेतनमान के साथ-साथ उत्तराखण्ड राज्य कार्मिकों को देय मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते भी देय होंगे।

1/220708/2024

5. उपरोक्त सहायक अभियन्ताओं की राज्य की कार्मिक नीति द्वारा प्रसारित सामान्य नियमों के अंतर्गत स्थायीकरण एवं उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी। उक्त अभियन्ताओं की सेवाएं विभाग हेतु संवर्ग की नियमावलियों, राज्य की कार्मिक नीति एवं तदविषयक संशोधनों में निहित प्रावधानों के अंतर्गत होगी तथा ऐसी समस्त सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।
6. मुख्य अभियन्ता सभी सहायक अभियन्ताओं को नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मुख्य अभियन्ता कार्यालय में कम से कम 01 सप्ताह का प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करेंगे।
7. उपरोक्त सहायक अभियन्ताओं को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु मुख्य अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा प्रदेश की संबंधित प्रशिक्षण अकादमी/संरथाओं से संबंधित पाठ्यक्रम के लिये पाठ्यक्रम एवं समय प्राप्त किये जाने के उपरान्त अपने स्तर से प्रशिक्षण हेतु भेंजा जायेगा।
8. मुख्य अभियन्ता स्तर-1 को समस्त चयनित अभियन्ताओं के आवेदन पत्र मूल में प्रेषित करते हुये यह अपेक्षा की जाती है कि अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराये जाने से पूर्व उक्त चयनित अभियन्ताओं की शैक्षिक योग्यता, आयु, डिग्री एवं जाति प्रमाण-पत्र (यथा लागू) आदि का सत्यापन एतद विषयक मूल प्रमाण पत्रों से अनिवार्यतः करा लिया जायेगा।
9. समस्त सहायक अभियन्ताओं का स्वास्थ्य परीक्षण मुख्य अभियन्ता द्वारा निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से अनुरोध कर मेडिकल बोर्ड का गठन कराकर मेडिकल बोर्ड के माध्यम से सम्पन्न कराया जायेगा।
10. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपरिथित होने पर संबंधित अभ्यर्थी अपने स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल/अचल सम्पत्ति का विवरण तथा एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का घोषणा पत्र/शपथ पत्र अवश्य उपलब्ध करायेंगे।
11. उक्त सहायक अभियन्ताओं को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-
(क) शैक्षिक योग्यता, आयु, बी.ई./बी.टेक. डिग्री एवं जाति प्रमाण पत्र की दो प्रमाणित प्रतियां (प्रमाणित)।
(ख) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके संबंधी न हों, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र।
(ग) लिखित रूप में शपथ पत्र कि स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन तथा जाति सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी नियुक्ति निरस्त समझी जाय।
12. उक्त नियुक्ति मात्रा उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका सं-449 / 2023(एस०/बी०) काजल तोमर वनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।
13. उक्त सहायक अभियन्ताओं को कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता आदि अनुमत्य/देय नहीं होंगे।

Signed by Mayawati
Dhakriyal
Date: 27-06-2024 11:23:39

(मायावती ढकरियाल)
अपर सचिव।

1/220708/2024

संख्या—३६०(१) / XII-3/2024 / तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड कौलागढ, देहरादून।
2. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. निजी सचिव, माझ मंत्री जी, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख सचिव / सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्ता, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्य अभियन्ता स्तर-1, ग्रामीण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार नव नियुक्त सहायक अभियन्ताओं को कार्यभार ग्रहण कराने के पश्चात शासन को यथासमय अवगत कराने का कष्ट करें।
9. समरत संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समरत अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विभाग, उत्तराखण्ड।
11. संबंधित अधिशासी अभियन्ताओं को इस आशय से प्रेषित कि वे नव नियुक्त सहायक अभियन्ताओं को शासनादेश दिन 10.05.2023 के आलोक में कार्यक्षेत्र आबंटित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
12. समरन संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by Dipti Mishra
Date: 27-06-2024 12:47:02
(दीप्ति मिश्रा)
उप सचिव।